

टिप्पणी :- ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शाक्तियों तथा स्थितियों का वर्णन करे।

अथवा
ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शाक्तियों, कार्यों और स्थितियों का परीक्षण तथा सुझावक भी जेरे।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद ब्रिटिश शासन व्यवस्था में बड़े महत्व और शक्ति का पद माना जाता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्री मंडल है, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है। जब तक इसे कोमन सदन में कुमन प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री मंत्री मंडल और संसद दोनों का नेता होता है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति :- ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रिंसिपल स्मार्ट के द्वारा की जाती है, लेकिन स्मार्ट प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं होता है। उसे कोमन सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रारम्भ में स्मार्ट दोनों सदनों से से किसी भी सदन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता था, लेकिन बाद में यह प्रथा बन गई कि प्रधानमंत्री कोमन सदन से होगा। इस स्थिति में जब कोमन सदन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, वैसे स्थिति में स्मार्ट अपनी इच्छा से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो कोमन सदन को विश्वास प्राप्त कर सके। वे दलिय प्रणाली होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य :- ब्रिटिश प्रधानमंत्री शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार से हैं।

1. मंत्रिमंडल का निर्माण करना :- प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के बाद अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री को सलाह से स्मार्ट मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के प्रमुख और प्रमुख व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में जगह देता है। मंत्रिमंडल की संख्या, आदि का भी निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बन सकता है, वह संसद के दोनों सदनों से मंत्री बनाता है, जो दोनों सदनों में सरकार का प्राथमिकत्व बना रहे।

2. मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना: — मंत्रीमंडल के गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री की लोकप्रता और अनुभव को देखकर करता है। प्रधानमंत्री चाहे तो एक से अधिक विभाग अपने पास रख सकता है। कोई मंत्री विभाग के बंटवारे में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप नहीं करता है।

3. मंत्रीमंडल की बैठकें बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना: — प्रधानमंत्री समय-समय पर अपने मंत्रीमंडल की बैठकें बुलाता है। मंत्रीमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रीमंडल के सभी फैसले प्रधानमंत्री की इच्छा से लिए जाते हैं।

4. मंत्रीमंडल का पुनर्गठन करना: — प्रधानमंत्री को कभी भी अपने मंत्रीमंडल में फेर बदल करने का अधिकार है। वह किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांग सकता है और नया मंत्री बन सकता है। वह मंत्रीमंडल की संरचना में भी परिवर्तन कर सकता है। प्रधानमंत्री को मंत्रियों के विभागों में भी परिवर्तन करने का भी अधिकार होता है।

5. मंत्रियों को हटाना: — किसी मंत्रियों का पद से हटाने का अधिकार सम्राट का होता है, परन्तु सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री को हटा सकता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर भी यदि इस्तीफा नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री सम्राट से उसके हटाने की अनुशंसा कर सकता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के कहने मात्र ही वह इस्तीफा दे देता है। प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर ने अपने मंत्रीमंडल के साथ मंत्रियों का एक साथ हटाया था। प्रधानमंत्री का स्वयं का इस्तीफा सम्पूर्ण मंत्रीमंडल का इस्तीफा या त्यागपत्र होता है।

6. समन्वय स्थापित करना: — प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य सभी मंत्रालयों के बीच आपस में समन्वय स्थापित करना होता है। ताकि समय और धन का बचाव हो और प्रशासन एक इकाई के रूप में संगठित होकर कार्य कर सके। वह मंत्रालयों के बीच आपसी मतभेद को दूर कर सके और समय-समय पर देखा निर्देहा भी देख रहे। प्रधानमंत्री विभागों का निर्माण और निरीक्षण भी समय-समय पर करता है।

7. राजा का मुख्य सलाहकार: — प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य वह राजा का मुख्य सलाहकार भी होता है। राजा भी उससे महत्वपूर्ण मामलों में सलाह लेता है। चाहे लॉर्ड्स सदन में नियुक्ति को ही, या उच्च न्यायालयों की नियुक्ति या पदच्युति ही या कोई विदेशी

आमतौर पर राजा प्रधानमंत्री के सलाह अनुरूप होता है। और राजा के फारमों के अनुसार ही कार्य करता है।

9. प्रशासन पर निर्भरता : - प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है और नेता होने के कारण वह सम्पूर्ण वि. पर अपना पूरा निर्भरता रखता है। वह प्रशासन के किसी कार्य को जॉन्स करना उस पर निर्भरता रखना तथा निर्देश देने का अधिकार रखता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी राज का कप्तान होता है, प्रशासन की सफलता का श्रेष्ठ उसे ही जाता है।

10. प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र का नेता : - यदि कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए तो वह उसे निपटारे का हर सम्भव प्रयास करता है। सारा देश उसी की ओर देखता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय लार्ड जॉर्ज तथा दूसरे महायुद्ध के समय चर्चिल ने ऐसी भूमिका निभाकर अपने राष्ट्र की प्रशंसा आर्जित की। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी वह अपने राष्ट्र का प्राथमिक पितृत्व करता है, वह वहाँ पर लिए गये निर्णयों को अपने देश में लागू करता है। विदेशी मंत्री व कूटनीति में लगे हुए विशेषज्ञ उसी के परामर्श या आदेशानुसार कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री अपने कुशल एवं सफल कृत्यों से अपने देश का नाम ऊँचा करता है। चैम्बरलेन जैसे अकुशल प्रधानमंत्री ने दूसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित किया, उसके बाद चर्चिल जैसे कुशल प्रधानमंत्री ने देश को ऐसे गंभीर संकट से बचाया।

11. प्रधानमंत्री संसद का नेता : - प्रधानमंत्री संसद का भी नेता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर सभा संसद का अधिवेशन बुलाता है। और उसी के सलाह अधिवेशनों को समाप्त भी घोषणा करता है। संसद में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री ही संसद में सभी महत्वपूर्ण ध्येयवाक्य करता है। संसद की सभी कमेटियों में प्रधानमंत्री की इच्छा से सदस्य लिए जाते हैं।

12. प्रधानमंत्री पार्टी का नेता : - प्रधानमंत्री अपने पार्टी का नेता होता है। पार्टी का उसे पूरा सम्पूर्ण प्राप्त होता है। वह पार्टी की नीतियों को कार्य रूप देता है। चुनाव के समय उसी की इच्छा पार्टी के उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। पार्टी की हर - जीत उसी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। पार्टी उसी के मार्गदर्शन में कार्य करता है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति: - ब्रिटिश प्रधानमंत्री को शास्त्रीयों को देखकर हम उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शास्त्रीय माना जाता है इसके संबंध में कहा जाता है कि "कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास इतनी शक्तें हों"। मंत्रिमंडल संघर्षों उसकी शास्त्रीयों को देखकर प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि "वह कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है" यह कहावत विजुल ठीक है, यानी कि कैबिनेट रूपी महल उसी पर स्थिर होता है। उसका स्वयं का त्यागपत्र सम्पूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। प्रधानमंत्री शासनरूपी जहाज का कप्तान भी कहा जाता है, यानी कि सम्पूर्ण शासन उसकी देखरेख में चलता है। कई विद्वानों ने उसे "steering wheel of the ship of the state" का दर्जा भी देते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सिव का एक बहुत शास्त्रीय राजनीतिक व्यक्ति है, परन्तु इसके बावजूद भी हम उसे तानाशाह नहीं कह सकते हैं।

ब्रिटेन में दो दलीय प्रणाली है, जिसमें एक दल शासन करता है, दूसरा दल विरोधी दल की भूमिका निभाता है। इंग्लैंड में विरोधी दल को मान्यता प्राप्त है, और वह वहाँ परमजबत है। विरोधी दल सरकारी दल पर अंकुश रखता है और उसकी गलतियों को पकड़ता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था "ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी पत्नी से ज्यादा अधिक अच्छी तरह विरोधी दल के नेता को जानता है"।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर उसके पार्टी का नियंत्रण रहता है पार्टी उसे स्वैच्छान्तरि नहीं बनने देगी। प्रधानमंत्री पर कॉमनसभा का कारगर नियंत्रण रहता है। यदि प्रधानमंत्री स्वैच्छान्तरि बनने की चेष्टा करेगा तो कॉमनसभा उसे अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा देगी।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कितनी ही अधिक शक्तें प्राप्त क्यों न हों वह तानाशाह नहीं बन सकता है। इस संबंध में फाब्रर ने प्रधानमंत्री की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "वह सज्जन नहीं है। वह देवता नहीं है जिसे चुनोती नहीं दी जा सके, इसके विचार ही आदेश नहीं हो सकते। वह सदा दया पर निर्भर करता है। उसकी अनाई उसके पिता के द्वारा की गई लाभदायक सेवा-परिणत है। किसी भी सण कोई विरोधी उसका अपदल कर सकता है।" Aquitt ने प्रधानमंत्री के संबंध में कहा है कि "The office of the Prime Minister is what the holder chooses to make it so"